
राजस्थान सरकार उच्य शिक्षा



मारेव वेदान्त महाविद्यालय मुक्ति देशी ।

विना 3/5/20/0

राज्य सरकार द्वारा प्रकृत क्ष्युकोचन के जाबार पर निर्धा क्षेत्र न नवीन महाकि । प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आपकी संस्था को उसमें नाम के सम। अंकित आवंटित संकाय विषय हेतु तीन सत्रों (2010-11, 2011-12, 2012-13) के शिए अस्थाई अन

प्रमाण पत्र जारी

क्र. पत्रा. सं.	नाम व पता	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित
1 249	संस्थान र यथल	वेदान्त महाविद्यालेस	्राजस्थान विश्वविद्यालाई, जयपुर	वला संकाय में विरिवत— हिन्दी र जनीति विज्ञान चित्रकला, गृह विज्ञा वाणिज्य संकाय अतिरिक्त— एबीएस र शासन, कम्प्यूटर

/, संकाय नेवार्य विषयों के य, अंग्रेजी साहित्य. इतिहास, संस्कृत र्थशास्त्र मनिवार्य विषयों के एएफएम, व्यवसायिक

संस्था इन तीन सत्रों के पश्चात निम्नलिखित शतों की पूर्ति क स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेत् निर्धारित अवधि तव आवेदन करे अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

त्र 2013-14 में अन्यथा अस्थाइ

छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विव 2. विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

हेत् सम्बन्धित

मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्ष 3. यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता स्निश्चित कराने की विश्वविद्यालय की होगी।

ह स्विधाओं एवं मोदारी सम्बद्धक

संकाय / विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर रा 4. शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

भरकार एवं कालेज संख्या सीमा में ही

संस्था स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही नवीन । स्तर पर क्रमोन्नयन के लिए पात्र होगी।

ां व स्नातकोत्तर

संस्था को तीन सत्रों की अवधि की समाप्ति तक मापदण्डानुसार भ महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना 6.

कय कर उस पर TI

संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक 7. सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

की निय्वित करके

संस्था / महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा वार कोंसिल हार 8.

भय-समय पर जारी

विनियमों / दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई दान उक्त संस्था/

9. महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।

किंद्रिशनी

719

प्रकार बच्च शिक्षा

क्रमांकः एफ ४(384) आकाशि/नि.सं./2010/ 4/17 लेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक:-27-2-16

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2015—16 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण — पत्र निम्नलिखित शतों के साथ प्रदान किया ज

मझिविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	
NA SHIT II		पूर्व संचालित विषय/संकाय
वाया जाहोता, पंचायत समिति, जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित— कला संकाय — राजनीति विज्ञान, भूगोल इतिहास, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य। वाणिज्य संकाय—एबीएसटी, ईएएफएम,
1. सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संबद्ध		व्यावसायिक प्रशासन।

- सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी की अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित गानवण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- 3. रोज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- 4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पाळना
- 5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लघंन करने प्र उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- 17. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- 8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- 9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 10. संस्था प्रतिवर्ष आयुक्तालय / नजदीकी राजकीय महाविद्यालय / विभाग की वेबसाइट www. dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अविध में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को
- 11. संस्था महाविद्यालय की Website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस Website address की सूचना देगी।
- 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रिजस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- 13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है – 1.विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर । 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर । 3.जिला कलेक्टर, जयपुर।

(19)

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (384) आक्रांशि / नि.स. / 2010 / 1034

विनावा:- 8/5/12

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017—18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक रतर पर नवीन संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया

	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय/विषय
वेदान्त महाविद्यालय. मुकुन्दपुरा जाहोता. जिला-जयपुर।		रनातक स्तर पर विज्ञान संकाय– भौतिकशास्त्र, एसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गण्डिव, अर्थशास्त्र।

ा. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी०सी०आई०से संबद्धत्ता प्राप्त करने का दायित्व रवंय संरथा का होगा।

2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।

3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व गविष्य में इस हेत् कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।

. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के

सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।

6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भीउल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।

. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना

होगा।

8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

10. संरथा प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अविध में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना

देगी।

12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रिजस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर प्रतिवर्ध अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकिशत बेवपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।

13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापित्त प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मां० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

3. जिला कलेक्टर, जयपुर।

4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।

6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (निजी संस्था) कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर क्रमांकः एक4 (384)आकाशि/नि.सं./2010/ 1794 विनांक:-30-5-18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सन्न 2018—19 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
	वेदान्त महाविद्यालय. मुकुन्दपुरा, वाया-जाहोता, जालसू, जयपुर।	विकास ।	स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.ए भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान।

संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।

आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।

संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना

आनेवार्य रूप से करनी होगी।

संरथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से गान्यता व विश्वविद्यालयं से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।

संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।

- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।

राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुवतालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।

10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना

11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेवसाइट www.dce.rajusthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अविध हे पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

12. मानव रांसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रिजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोख करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इराकी हार्ड कॉपी आगाभी 15 दिवस में आयुवतालय में प्रस्तुत करेंगा

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरि

कॉर्लेज शिक्षा, रोजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं 1. विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजरथान, जयपुर ।

2. निजी सविव, अति० गुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

3. जिला कलेक्टर, जयपुर।

4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।

सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजरथान, जयपुर।



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ4 (73)आकाशि / नि.सं. / 2010 / 11-35

विनांक- २1-12-2020

आदेश राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार हार जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय में स्थाई अनापतित प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्ती के साथ प्रदान किया जाता है:

संवालक संस्था	महाविद्यालय का नाम			नवीन विषय/संकाय
श्री भरामल कानाराम	मुकुन्दपुरा-॥ जाहोता. जिला जयपुर।	जयपुर।	Inferior d	स्नातक स्तर पर बी.एअग्रेजी साहित्य। बी.एससीभूगोल। स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एससीप्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में

- संस्था प्रति वर्षं विमाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ निर्धारित अवधि में
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बीठसीठआई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा। संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्ती की पालना करेगी ।
- शज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी । संरथा संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विमाग को
- सूचित करंगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवंश दिया जाना सुनिश्चित करंगा।
- 10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- 11. यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अविध में भू-रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी
- 12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। अपलाइड प्रमाण-पत्र का हाड कापा आवश्यकतानुसार आयुक्तालय न प्रस्तुत करणा। उपर्युक्त शर्ती की पालना नहीं करने पर स्थापी अनापित प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

- विशिष्ट सथिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2. वि.मी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर । 3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

- 4. जिला कलंबटर, जयपुर। 5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 7. सारियकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निवंशक (निवसंव) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: idpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एक्ष्म (247)आकाशि,/वि.सं./2010/ 2:33

विनांक- 18/04/2022

आदेश

रोजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम् 1989 तथा तत्संबंधी नियम् 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत महाविद्यालय को सत्र 2021–22 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/विषय में स्थाई अनापित प्रमाण–पत्र निम्नितिक्षत शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:--

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
भी मूरामल कानाराम मेमोरियल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान, वुकन्दपुर, वाया-जाहोता. जयपुर।	वेदान्त महाविद्यालय	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.एससी वनस्पतिशास्त्र।

 संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुक्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रयत्र प्रस्तुत करेगी।

2. संस्था प्रति वर्ष विमाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अविध में भरकर अपलोड़ करेगी।

अवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेंगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अमिलेख उपलब्ध करायेगी।

 संस्था को समय समय पर यू जी सी / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।

इ. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बीठसीठआई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।

संस्था को दो वर्ष की अविध में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।

7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा

 संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहंताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित गानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।

राज्य सरकार संस्था को यर्तनान व भविष्य में इस हेतु कोई विलीय सहायता नहीं देगी।

10. संस्था संकाय व विषयवार सीटी का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विमाग को सुवित करेगी तथा महाविद्यालय अवनुसार तथ संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।

11. राज्य सरकार की महाविद्यालय रावधी प्रवेश गीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेव पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रिजस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ध अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट शहायक, माठ उच्य शिक्षा मंत्री गहोदय, राजस्थान, जयपुर ।

2. निजी सविव, शासन सचिव, उश्य शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपर ।

3. निजी सविव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

4. जिला कलेक्टर, जयपुर।

5. कुल सचिव, राजस्थन विश्वविद्यालय, जयपुर।

6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।

7. साव्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(नि०सं०) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर